सभापति, राज्य सभा
संसद् भवन, नई दिल्ली
CHAIRMAN,
RAJYA SABHA
PARLIAMENT HOUSE
NEW DELHI

प्राक्कथन

भारत के संविधान ने हमारी संसदीय और संवैधानिक व्यवस्था में राज्य सभा के लिए एक अद्‌भुत भूमिका निर्धारित की है। संविधान के मानदंडों के भीतर कार्य करते हुए राज्य सभा ने अपने अस्तित्व के पचास से अधिक वर्षों के दौरान निरन्तर यह प्रयास किया है कि हमारे गणतंत्र के संस्थापकों के विशाल दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदला जाए। हमारी राजव्यवस्था की संघीय प्रकृति को प्रतिबिंबित करने वाले दूरदर्शी निकाय के रूप में राज्य सभा ने राष्ट्रीय सरोकार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण, संयम और समभाव से मर्यादित बहस की है। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और जन-कल्याण के बृहत् लक्ष्य को प्राप्त करने तथा सार्वजनिक शासन में सुधार लाने के लिए संसदीय संवाद को व्यापक और गहन बनाने में राज्य सभा की भूमिका वस्तुतः प्रशंसनीय रही है। राज्य सभा के कार्य-निष्पादन का तुलन-पत्र वृद्धि और विकास के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के प्रति व्यक्तिगत स्तर पर सदस्यों और सामूहिक स्तर पर सभा की वचनबद्धता को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्य सभा की कार्यवाहियों के सदैव प्रासंगिक और प्रभावी रहने की आवश्यकता है जिसके लिए संसदीय नियमों की जानकारी और उपयुक्त संसदीय युक्तियों का अनुप्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

समय के साथ विकास के मार्ग पर बढ़ते हुए राज्य सभा ने अपने नियम और प्रक्रियाएं बनाईं तथा अपने कार्यकरण को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्वस्थ परिपाटियां और परंपराएं विकसित की हैं। मेरे लब्ध-प्रतिष्ठ पूर्ववर्तियों ने ये परंपराएं और प्रथाएं स्थापित की हैं तथा उनका पोषण किया है। उन लोगों ने इस सभा को सुशोभित करने वाले अन्य विशिष्ट सदस्यों के साथ मिलकर राज्य सभा की शोभा बढ़ायी है और उसकी कार्यवाहियों को गरिमा तथा महत्त्व प्रदान कराया है।

संसदीय नियम, प्रक्रियाएं, प्रथाएं, परिपाटियां और विनिर्णय इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि सदस्य संसदीय आचरण के उच्चतम मानदंडों को बरतते हुए विनिर्दिष्ट विधायी समय के भीतर स्वतंत्रतापूर्वक एवं प्रभावशाली तरीके से सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दों को उठाने में समर्थ हो सकें। जहां सदस्यों को संसदीय नियमों की जानकारी होने से सभा के कार्य को बेहतर ढंग से करने में सहायता मिलती है, वहां इनकी जानकारी न होने के परिणामस्वरूप सभा में अव्यवस्था और अशान्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देश के उच्चतम लोकतांत्रिक निकाय के रूप में संसद् की विश्वसनीयता काफी हद तक सदस्यों के व्यवहार और आचरण के आनुपातिक होती है। इसलिए सदस्यों के लिए अत्यावश्यक है कि सभा में लोक महत्त्व के मामलों को कारगर तरीके से उठाने के लिए वे संसदीय नियमों और परिपाटियों का पालन करें। राज्य सभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के कारण अब हमारी संसद् और उसके सदस्य जनता के साथ-साथ मीडिया की जांच के दायरे में आ गए हैं। संसद्-सदस्यों को संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं की बेहतर समझ एवं अनुप्रयोग के जरिए नेतृत्व करना चाहिए और व्यवहार के उच्च मानदंड स्थापित करने चाहिए ताकि जनता ने उन पर जो विश्वास किया है, उसे बनाये रखा जा सके।

हमारे देश में संसदीय संस्थाओं का तेजी से विकास हो रहा है और राज्य सभा भी इसका अपवाद नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य सभा के महासचिव ने इस अत्यंत उपयोगी प्रकाशन के अद्यतन संस्करण को प्रकाशित करने के लिए समय से पहल की है जिसमें इस प्रकाशन के पहले संस्करण के बाद से सभा के कार्यकरण में आए अनेक बदलावों को समाविष्ट किया गया है। मैं राज्य सभा सचिवालय की इस पहल, विशेषत: इस प्रामाणिक एवं बृहत् प्रकाशन को संशोधित, अद्यतन एवं प्रकाशित करने के दुष्कर कार्य में लगे सभी व्यक्तियों की प्रशंसा करता हूं क्योंकि इसमें राज्य सभा के कार्यकरण के विविध पहलुओं के संबंध में गहन एवं मूल्यवान अंतर्दृष्टि निहित है। मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तक संसद्-सदस्यों, हमारी संसदीय प्रणाली का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों तथा आम लोगों के लिए अत्यधिक रुचिकर सिद्ध होगी।

नई दिल्ली
6 दिसम्बर, 2006

भैरों सिंह शेखावत